राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

<u>एकलपीठ दीवानी द्वितीय अपील संख्या–256/2013</u>

सौरभ यादव पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, जाति यादव, उम्र 43 साल, निवासी वार्ड संख्या –18, नये बस स्टेण्ड के पीछे, बहरोड, जिला अलवर,राजस्थान

–––अपीलार्थी/वादी

–: बनाम :–

1. नगर पालिका मण्डल, बहरोड़, जिला अलवर जरिए चेयरमैन
2. एक्जीक्यूटिव आफिसर, नगर पालिका, बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान

–––प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांकः– **02.04.2018**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

श्री के.सी.शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/वादी

1. यह सिविल द्वितीय अपील अपीलार्थी/वादी द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–2, बहरोड़ (जिसे इस निर्णय में आगे 'अपीलीय न्यायालय' संबोधित किया जावेगा) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है । इस निर्णय व डिक्री द्वारा ''अपीलीय न्यायालय'' ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बहरोड, जिला अलवर (जिसे इस निर्णय में आगे 'विचारण न्यायालय' संबोधित किया जावेगा) के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2005 को पुष्ट करते हुए अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दीवानी नियमित अपील संख्या 13/2011 निरस्त की है । सुविधा की दृष्टि से इस निर्णय में आगे पक्षकारों को ''वादी'' व ''प्रतिवादीगण'' सम्बोधित किया जावेगा।

2. इस द्वितीय अपील को निस्तारित करने के उद्देश्य से संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार वर्णित किए जा सकते हैं कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इन अभिकथनों के साथ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या –1 ने कुछ प्लॉट व दुकानों की सार्वजनिक नीलामी किया जाना प्रचारित किया गया । वादी ने भूखण्ड संख्या –1 की नीलामी में भाग लिया व 10,000/– रूपये अमानत राशि मौके पर ही जरिए रसीद जमा कराई। भूखण्ड संख्या –1 की सबसे अधिक बोली 1,10,000/–रूपये वादी द्वारा लगाई जाने से बोली वादी के नाम छोड़ी गई जिसकी 1/4 राशि वादी ने मौके पर जमा करानी चाही तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वादी अपनी अमानत राशि वापिस ले ले । प्रतिवादीगण ने बिना उचित कारण बताये नीलामी समाप्त कर दी व कहा कि वे नीलामी निरस्त कर प्लॉट की पुनः नीलामी करेंगे जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी से शेष राशि प्राप्त कर नीलामी पुष्ट (Confirm) की जानी चाहिए थी । इन तथ्यों में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि वे प्लॉट संख्या–1 की नीलामी निरस्त नहीं करें व उसकी पुनः नीलामी नहीं करें।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद दोनों पक्षों को सुनकर वादी/अपीलार्थी का वाद दिनांक 16.09.2005 के निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई प्रथम अपील 'अपीलीय न्यायालय' द्वारा निरस्त कर दी गई जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन है कि दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि व तथ्यों के सर्वथा विपरीत व प्रतिकूल हैं। निर्विवादित रूप से अपीलार्थी ने 10 हजार रूपए अमानत राशि जमा कराकर नीलामी में भाग लिया था व प्लॉट संख्या –1 की सबसे अधिक बोली उसके द्वारा लगाई जाने पर बोली उसके नाम छूटी थी जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

कर लिया था । परन्तु प्रतिवादीगण ने बिना कोई आधार व कारण बताये नीलामी निरस्त कर दी जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था। उनका यह भी कथन है कि न तो प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था न संबंधित तहसीलदार को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया एवं न अन्य कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि चुनाव आचार संहिता प्रभाव में थी और इस कारण से नीलामी निरस्त की गई थी । इसके बावजूद इस आधार को सही मान कर नीलामी निरस्त किए जाने को सही ठहराने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक भूल कारित की है । विद्वान विचारण न्यायालयों के आक्षेपित डिक्री व निर्णय केवल अनुमानों व संभावनाओं पर आधारित है । वादी के नाम छोडी गई नीलामी को आज तक निरस्त नहीं किया गया है । इन तथ्यों व परिस्थितियों पर सही व विधिक रूप से विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया । अतः यह अपील अपील ज्ञापन में उठाए गए विधि के सारभूत प्रश्न पर सुनवायी हेतु ग्रहण की जावे ।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

5. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा रखे गए कथनों पर विचार करने के बाद व दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रियों का अवलोकन करने के बाद हम योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के किन्हीं भी कथनों में कोई सार नहीं पाते हैं । निर्विवादित रूप से अपीलार्थी द्वारा नीलामी में भाग लिया जाकर केवल अमानत राशि जमा करायी गई थी। यह भी निर्विवादित है कि नीलामी पुष्ट (Confirm) नहीं की गई थी, इस स्थिति के दृष्टिगत हमारी निश्चित् राय में वादी/अपीलार्थी को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं हुए थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के ये निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हैं व साथ ही ये निष्कर्ष पूरी तरह विधि के अनुसार हैं कि जब प्रदर्श –1 की शर्त संख्या –7 के अनुसार नीलामी बगैर कारण बताये निरस्त की जा सकती थी व नीलामी पुष्ट (Confirm) ही नहीं हुई थी तो इस स्थिति में वादी किसी प्रकार की कोई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था । दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री पर आधारित हैं व जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि या प्रतिकूलता प्रकट नहीं होती, इस द्वितीय अपील के स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । इस द्वितीय अपील में विधि का कोई प्रश्न या विधि का कोई सारभूत प्रश्न निहित नहीं है न ऐसा कोई प्रश्न इस अपील में निहित होना बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता बतला ही सके है।

उपरोक्त विवेचन से यह अपील सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य होने से एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/55

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते